



व्यवसाय योजना

सिलाई व कटाई

लेडीज सूट (लाइनिंग और बिना लाइनिंग) जैट्स नाईट सूट व बच्चों के ड्रेसज

श्री पाल समान रूचि समूह बंसु



ग्राम वन विकास समिति -

ग्राम पंचायत -

वन परिक्षेत्र -

वनमण्डल -

वनवृत्त - कुल्लू

बंसु

श्री पाल

भुन्तर

पार्वती

हिमाचल प्रदेश वन परितन्त्र प्रबंधन एव आजीविका सुधार परियोजना

अनुक्रमणिका

क्र०सं०	विवरण	पृष्ठ संख्या
1	कार्यकारिणी सारांश	3-4
2	स्वयं सहायता समूह का विवरण	5
3.	ग्राम की भौगोलिक स्थिति	5-8
4.	आय सृजन गतिविधि से सम्बंधित उत्पाद का विवरण	8
5.	उत्पादन की प्रक्रिया	8
6	उत्पादन हेतु नियोजन	8-9
7	विपणन	9
8	समूह सदस्यों के मध्य उघम का प्रबंधन	10
9	संभावित जोखिम व उनको कम करने के उपाय	10
10	उघम हेतु अनुमानित लागत	10-12
	अ. पूंजीगत व्यय	
	ब. आवर्ती व्यय (एक चक्र के लिए)	
	स. उत्पादन की लागत (एक चक्र के लिए)	
	द. विक्रय मूल्य की गणना / आंकलन	
11	उघम हेतु लागत - लाभ विश्लेषण: (एक चक्र के लिए)	13
12	समूह की वित्तीय आवश्यकता	13
13	समूह की वित्तीय संसाधन	14
14	सम विच्छेदन बिंदु (ब्रेक इविन प्वाइंट) की गणना	14
15	ऋण वापसी का किश्तवार नियोजन	14-15
16	टिप्पणी /गणना	16
17	स्वयं सहायता समूह के नियमों की सूचि	17
18	सहमति पत्र व मण्डल प्रबन्धन इकाई की स्वकृति	18
19	स्वयं सहायता समूह के प्रत्येक सदस्य के फोटोग्राफ	19

1. कार्यकारिणी सारांश / परिचय

हिमाचल प्रदेश के पश्चिम हिमालय में स्थित है । यह राज्य कुदरती सुंदरता और समृद्धि, सांस्कृतिक व धार्मिक धरोहर से भरपूर है । राज्य में विविध पारितंत्र, नदियों, घाटियों पाई जाती है । इसकी आबादी 70 लाख के करीब है । इसका भौगोलिक क्षेत्र 55673 वर्ग कि० मी० है । हिमाचल प्रदेश में शिवालिक पहाडियों से लेकर मध्य हिमालय का क्षेत्र के ऊँचाई व और ठंडे जोन का क्षेत्र पाया जाता है । राज्य के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है । हिमाचल प्रदेश के 12 जिलों में से 6 जिले में हिमाचल प्रदेश वन पारिस्थितिकी तंत्र प्रबन्धन और आजीविका सुधार परियोजना जाईका (JICA) के सहयोग से चलाई जा रही है । जिसमें कुल्लू जिला भी शामिल है ।

हिमाचल प्रदेश वन पारिस्थितिकी तंत्र प्रबन्धन और आजीविका सुधार परियोजना जाईका (JICA) प्रारंभ होने पर वन विकास समिति बंसु की सूक्ष्म योजना बनाई गयी है । वन विकास समिति के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि व बागवानी है परन्तु प्रत्येक परिवार की औसत भूमि बहुत कम है । अन्य संसाधन ना होने के कारण उनके आय में अपेक्षित बढ़ोतरी नहीं हो पा रही है । यहाँ के लोग मुख्यता गेहूँ, मक्की, जौ व दालों की खेती करने के साथ सब्जी उत्पादन तथा सेब, प्लम, खुमानी इत्यादि बागवानी फसले उगाते हैं । परन्तु अतिरिक्त संसाधन के लिए स्वयं सहायता समूह श्री पाल ने सिलाई व कटाई इत्यादि का कार्य करके अपनी आजीविका बढ़ाने का निर्णय लिया है । स्वयं सहायता समूह का 19-10-2020 को गठन किया गया है । इस समूह में कुल 10 महिलाएँ सदस्य है । इस स्वयं सहायता समूह को समान रुचि समूह में माँ नैना में परिवर्तित किया है । इस समान रुचि समूह ने विस्तार से चर्चा करने पर सिलाई व कटाई बनाने व विपणन करने का निर्णय किया है ।

परियोजना की सहायता से प्रारम्भ में लेडीज सूट बिना लाइनिंग, लेडीज सूट लाइनिंग, जेंट्स नाईट सूट, बच्चों के ड्रेसज को सिलने का प्रशिक्षण दिया जाएगा । परियोजना द्वारा पूंजीगत व्यय का 75% (अनुसूचित जाति और गरीब महिला) वहन किया जाएगा । इसके अतिरिक्त 1,00,000/- रेवोल्विंग फण्ड दिया जाएगा ताकि बैंक में ऋण लेने में सुविधा हो सके । समूह ने तय किया है कि सभी सदस्य नियम व शर्तों के हिसाब से कार्यों का आपसी वंटवारा करेंगे तथा समान रूप से कार्य के अनुसार लाभांश का वंटवारा करेंगे ।

श्री पाल समान रुचि समूह की व्यवसाय योजना बनाने के लिए श्री पदम् सिंह चौहान (Retd HPFS), श्रीमती बबिता ठाकुर और श्री सुशील महंत वन रक्षक (पाह नाला) ने बार बार समूह के सदस्यों से बैठक करके इस व्यवसाय योजना को तैयार किया है ।

व्यवसाय योजना के अनुसार समूह प्रतिमाह 180 लेडीज सूट बिना लाइनिंग, 90 लेडीज सूट लाइनिंग, 180 जेंट्स नाईट सूट व 120 बच्चों के ड्रेसज तैयार करेंगे । समूह वर्षभर 4 से 5 घंटे का समय निकाल कर उपरोक्त उत्पादों का उत्पादन करेगा । समूह में सम्मिलित सदस्यों का ब्यौरा निम्न प्रकार से है :

क्रमांक	लाभार्थी का नाम व पता	पद	गांव	आयु	लिंग	योग्यता	श्रेणी	सम्पर्क
1	श्रीमती शांता देवी पत्नी श्री मोहर सिंह	प्रधान	बंसु	32	स्त्री	5वीं	सामान्य	8091705159
2	श्रीमती कुसुम लता श्री जितेंदर	सचिव	बंसु	23	स्त्री	B.A	सामान्य	8219941156
3	श्रीमती वीता देवी श्री शिव सिंह	कोषाध्यक्ष	बंसु	22	स्त्री	+2	सामान्य	7876390966
4	श्रीमती रीना देवी पत्नी श्री वलदेव	सदस्य	बंसु	32	स्त्री	8 th	सामान्य	8219464511

5	श्रीमती चमारी देवी पत्नी श्री श्याम चंद	सदस्य	बंसु	32	स्त्री	10 th	सामान्य (आई० आर० डी० पी०)	7018335301
6	श्रीमती रीना देवी पत्नी श्री देवी सिंह	सदस्य	बंसु	28	स्त्री	10 th	सामान्य	8219155373
7	श्रीमती कृष्णा पत्नी श्री मोती राम	सदस्य	बंसु	50	स्त्री	4 th	सामान्य (बी० पी० एल०)	8894778136
8	कुमारी सीमा पुत्री श्री भाग चंद	सदस्य	बंसु	19	स्त्री	B.A	सामान्य	8580505730
9	कुमारी संगीता देवी पुत्री श्री बुध राम	सदस्य	बंसु	18	स्त्री	+2	सामान्य (बी० पी० एल०)	8894568865
10	श्रीमती अनितिका पत्नी श्री ध्यान चंद	सदस्य	बंसु	20	स्त्री	+2	सामान्य (आई० आर० डी० पी०)	8580555739

सारांश श्रेणी वार

क्रमांक	सामान्य	अनुसूचित	अनुसूचित जनजाति	वी० पी० एल० / (आई० आर० डी० पी०)
1	6	-	-	4



श्री पाल समूह के सदस्य

2 स्वयं सहायता समूह का विवरण

2.1	स्वयं सहायता समूह का नाम	श्री पाल
2.2	स्वयं सहायता समूह का एम. आई. एस. कोड	—
2.3	ग्रामीण वन विकास समिति	बंसु
2.4	वन परिक्षेत्र	भुंतर
2.5	वन मण्डल	शमशी
2.6	गांव	बंसु
2.7	विकास खण्ड	भुईन
2.8	जिला	कुल्लू
2.9	समूह के कुल सदस्यों की संख्या	10
2.10	समूह के गठन की तिथि	19-10-2020
2.11	स्वयं सहायता समूह/समान रूचि समूह की मासिक बचत	50/-
2.12	बैंक का नाम और शाखा जहां समूह का खाता संचालित	हिमाचल ग्रामीण बैंक दोहरानाला
2.13	बैंक खाता संख्या	88331300005695
2.14	समूह की कुल बचत	3750/-
2.15	समूह द्वारा सदस्यों को दिया गया ऋण	—
2.16	कैश क्रेडिट सीमा समूह सदस्यों द्वारा वापस किया गया ऋण की स्थिति	—

3. गांव की भौगोलिक स्थिति

3.1	जिला मुख्यालय से दूरी	18 कि०मी०
3.2	मुख्य सड़क से दूरी	15 कि०मी०
3.3	स्थानीय बाजार का नाम और दूरी	कुल्लू 18 ,भुन्तर 19 कि०मी०
3.4	मुख्य बाजार से दूरी और नाम	कुल्लू 18 कि०मी०
3.5	अन्य प्रमुख शहरों और कसबों से दूरी	कुल्लू 18 कि०मी० मनाली 60 कि०मी० भुन्तर 19 कि०मी०
3.6	बाजार/बाजारों से दूरी जहां पर उत्पादन की बिक्री की जायेगी	कुल्लू 18 कि०मी० मनाली 60 कि०मी० भुन्तर 19 कि०मी०
3.7	ग्राम के सम्बन्ध में अन्य कोई विशिष्टता जो समूह द्वारा चयनित आय सृजन गतिविधि से सम्बन्धित हो	

(क) व्यवसाय योजना की आवश्यकता क्यों ?

वन विकास समिति बंसु में महिलाओं का पहले से गठित कोई भी समूह नहीं है इसीलिए परियोजना ने एक स्वयं सहायता समूह का गठन किया है। जिसमें समूह की सभी महिलाएं सिलाई कटाई का कार्य करके अपनी आजीविका को बढ़ाना चाहती हैं। बहुत सी महिलाओं के पास न ही सिलाई मशीन है और न ही प्रशिक्षित है। इन कारणों से अपनी आजीविका को नहीं बढ़ा पा रही है इसीलिए महिलाओं ने समूह के माध्यम से JICA परियोजना से सिलाई कटाई की मशीनों तथा उचित प्रशिक्षण की मांग की है।

(ख) व्यवसाय योजना के उद्देश्य :

- समूह की सभी सदस्यों की क्षमता का निर्माण करना।
- समूह के लिए निरंतर आय के साधन उपलब्ध कराना।
- उत्पाद को उचित बाजार से जोड़ना।
- सभी सदस्यों को समूह में काम करने के लिए प्रेरित करना।
- सिलाई कटाई व्यवस्था की नवीनतम एवं आधुनिक तकनीकों को बढ़ावा देना।
- आजीविका की बढ़ोतरी।

(ग) व्यवसाय योजना में निम्न कार्य शामिल हैं :

- सिलाई - कटाई (महिलाओं के सूट, बच्चों के ड्रेसज, पुरुषों के नाईट सूट इत्यादि शामिल हैं।)

(घ) व्यवसाय योजना के कार्यों का विवरण :

(1) सामुदायिक गतिशीलता : इसके अंतर्गत ग्रामीणों में जागरूकता एवं सामुदायिक गतिशीलन के उपरान्त आजीविका वर्धन के विकल्प का चयन तथा उसके लिए लाभार्थियों की छंटनी की गयी है।

(2) समूह का निर्माण : स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को एकत्रित कर समूह का गठन किया गया है तथा समूह का अध्यक्ष, सचिव व् कोषाध्यक्ष का सर्वसहमति से चुनाव किया गया है। समूह की सदस्यों की सहमती से समूह के लिए नियम एवं शर्तें निर्धारित करके उन्हें लागू करने का प्रावधान किया गया है।

(3) क्षमता का निर्माण : लाभार्थियों की क्षमता निर्माण हेतु उनका उचित प्रशिक्षण करवाया जाना आवश्यक है।

(4) सिलाई मशीन इत्यादि का वितरण : समूह के सभी सदस्यों को अच्छी किस्म मशीने उपलब्ध करवाई जाए ताकि अच्छे ढंग से कार्य कर सके।

(5) बाज़ार से जोड़ना : अपने उत्पाद को बेचने के लिए समूह किसी सरकारी व निजि सोसाइटी से उचित शर्तों के साथ संबंध स्थापित करने लिए तैयार है | जैसे की स्थानीय पाठशाला के बच्चों के ड्रेसज, लोकल मार्किट के दर्जियों के साथ व्यवसाय में जुड़ेगी | भुन्तर बाज़ार, शमशी, व मोहल के क्षेत्र के दर्जियों के साथ जुड़ कर कार्य करेगी |

(6) वित्तीय संस्थानों एवं संबधित विभागों से जोड़ना : व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए समूह को वित्तीय संस्थानों से जोड़ने का पर्यास किया जाएगा तथा उन्हें विभिन्न बैंकों द्वारा दी जा रही ऋण सुविधाओं से अवगत करवाया जाएगा तथा परियोजना द्वारा बैंकों से जोड़ा जाएगा |

(7) बाज़ार की जानकारी : भुन्तर बाज़ार, शमशी, व मोहल के क्षेत्र के दर्जियों के साथ जुड़ कर कार्य करेगी |

(8) निगरानी का तरीका : व्यवसाय योजना शुरू होने से पहले लाभार्थियों का आधार रेखा सर्वेक्षण किया जाएगा | इसमें हर 6 महीने के बाद आर्थिक सर्वेक्षण किया जाएगा | इसके मापदंड निम्नलिखित होंगे |

- | | |
|---------------------------------|-----------|
| (i) उत्पादन में बढ़ोतरी | (बाद में) |
| (ii) बेचे गए उत्पाद में बढ़ोतरी | (बाद में) |
| (iii) समूह में बढ़ोतरी | (बाद में) |
| (iv) आय में बढ़ोतरी | (बाद में) |

(9) अपेक्षित सहायता एवं संसाधन :

- (i) वित्तीय प्रबंधन : (पूँजीगत व्यय का 50% & 75% श्रेणी बार परियोजना द्वारा सहायता दी जाएगी, शेष 50% & 25% श्रेणी बार सदस्य द्वारा वहन किया जाएगा, इसके अतिरिक्त 100000 रुपए रेवोल्विंग फण्ड के रूप में दिया जाएगा |)
- (ii) मानव : 10
- (iii) तकनीकी : तकनीकी सहायता गाँव में ही मास्टर ट्रेनर लगाकर परियोजना द्वारा उचित प्रशिक्षण का प्रावधान परियोजना द्वारा दिया जाएगा |

(10) अनुमानित लाभ:

- महिलायों के लिए घरेलू रोजगार उपलब्ध होगा |
- समूह के सभी सदस्यों के लिए आजीविका वर्धन का दीर्घ कालीन एवं निरंतर साधन उपलब्ध होगा |

- समूह की महिलाएं इस कार्य को खाली एवं अतिरिक्त समय में कर सकती हैं तथा अपनी आय में प्रति सदस्य लगभग 10680 रु प्रतिमाह तक बढ़ोतरी कर सकती हैं।

4. आय सृजन गतिविधि से सम्बन्धित उत्पाद का विवरण

4.1	उत्पाद का नाम	बच्चों के ड्रेसज + जेंट्स नाईट शूट + सूट लाइनिंग + सूट बिना लाइनिंग
4.2	उत्पाद की पहचान की पद्धति	समूह विचार- विमर्श
4.3	स्वयं सहायता समूह / समान रुचि समूह के सदस्यों की सहमति	हाँ (सहमति पत्र पृष्ठ परसलंगन है।)

5. उत्पादन की प्रक्रिया का विवरण

सर्वप्रथम स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को परियोजना द्वारा लेडीज सूट लाइनिंग, बिना लाइनिंग, किड्स ड्रेसज और जेंट्स नाईट सूट की सिलाई का प्रशिक्षण दिया जाएगा। माँ नैना समूह के 10 सदस्यों इस कार्य करेंगे। प्रशिक्षण के उपरान्त समूह इस कार्य को करेंगे।

1. लेडीज सूट लाइनिंग: - समूह के 3 सदस्य लेडीज सूट लाइनिंग की सिलाई का कार्य करेंगे। प्रत्येक सदस्य 4 से 5 घंटे प्रतिदिन कार्य करने पर 1 दिन में 1 सूट तैयार करेंगे।
2. लेडीज सूट बिना लाइनिंग: - समूह के 3 सदस्य लेडीज सूट बिना लाइनिंग की सिलाई का कार्य करेंगे। प्रत्येक सदस्य 4 से 5 घंटे प्रतिदिन कार्य करने पर 1 दिन में 2 सूट तैयार करेंगे।
3. जेंट्स नाईट सूट: - समूह के 2 सदस्य जेंट्स नाईट सूट की सिलाई का कार्य करेंगी। सदस्य 4 से 5 घंटे प्रतिदिन कार्य करने पर 1 दिन में 3 सूट तैयार करेंगी।
4. बच्चों के ड्रेसज: - समूह के 2 सदस्य बच्चों के ड्रेसज की सिलाई का कार्य करेंगी। सदस्य 4 से 5 घंटे प्रतिदिन कार्य करने पर 1 दिन में 2 ड्रेसज तैयार करेंगी।

6. उत्पादन हेतु नियोजन

- 6.1 प्रति माह कार्य दिवस : 30 दिवस
- 6.2 प्रति माह काम करने वाले व्यक्ति : 10 व्यक्ति
- 6.3 कच्चे माल का स्रोत : कुल्लू, भुंतर
- 6.4 अन्य संसाधनों का स्रोत : कुल्लू, भुंतर

क्रमांक	माह	वस्तु का नाम	इकाई	मात्रा	मजदूरी	औसत अन्य खर्च	कुल धन राशी	प्रति नग लागत	उपेक्षित उत्पादन की मात्रा
1.		लेडीज सूट लाइनिंग	नंबर	90	15300	11005	26305	292.27	90
		लेडीज सूट बिना लाइनिंग	नंबर	180	15300	4010	19310	107.27	180
		जेंट्स नाईट सूट	नंबर	180	10200	4010	14210	78.94	180
		बच्चों के परिधान	नंबर	120	10200	2675	12875	107.29	120
		योग		570	51000	21700	72700	-	-

नोट: स्वयं सहायता समूह के प्रशिक्षण का खर्च परियोजना द्वारा वहन किया जाता है। तथा इस व्यवसाय योजना में शामिल नहीं है।

7. विपणन/बिक्री का विवरण

7.1	संभावित बाजारों/स्थलों के नाम	भुंतर, मोहल और शमशी।
7.2	उत्पाद की बिक्री हेतु गांव से दूरी	कुल्लू 18 कि०मी० मनाली 60 कि०मी० भुन्तर 19 कि०मी०
7.3	बाजार में उत्पाद की अनुमानित मांग	लेडी शूट, जेंट्स नाईट सूट, स्कूल ड्रेसिज, बच्चों की ड्रेसिज।
7.4	बाजार को चिन्हित करने की प्रक्रिया	लोकल बाजार को चिन्हित किया गया है जैसे की स्कूल, भुंतर, मोहल और शमशी।
7.5	मौसम में परिवर्तन के अनुसार उत्पाद की मांग की स्थिति	सर्दी के दौरान वूलेन सूट और गर्मी के मौसम के दौरान कॉटन सूट सिलेगें।
7.6	उत्पाद के संभावित खरीदार	स्थानीय निवासी
7.7	क्षेत्र में संभावित उपभोक्ता	स्कूल के बच्चे, गाँव व शहरों की महिलाएँ / पुरुष
7.8	उत्पाद का विपणन तंत्र	सीधा सम्पर्क दर्जियों से और गाँव की महिलाएँ और पुरुषों के सूट सिलेगें।
7.9	उत्पाद के विपणन हेतु रणनीति	(1) प्रारम्भ में लेडी शूट, जेंट्स नाईट सूट, स्कूल ड्रेसिज, बच्चों की ड्रेसिज सिलेगें। बाद में पिलो, कुशन, रजाई कवर इत्यादि सिलेगें। (2) समूह कार्य की निपुणता के आधार पर सदस्यों का चयन करेगा जैसे कि कटिंग, तुरपाई, काज, बटन लगाना, इस्त्री करना इत्यादि।

8. समूह सदस्यों के मध्य उद्यम का प्रबन्धन :

समूह के सदस्य आपसी सहमति से कार्यो का बटवारा करेंगे तथा किये गये कार्य के अनुपात में प्राप्त आय का वितरण करेंगे। स्वयं सहायता समूह के सभी सदस्यों सिलाई करेंगे। कार्य का बटवारा एवं प्रत्येक सदस्य की भूमिका सदस्य की आर्थिक शारीरिक एवं मानसिक क्षमता के आधार पर की जायेगी। यही सदस्य वित्त लेन देन का हिसाब रखेंगे।

9. शक्ति, दुर्बलता, अवसर, जोखिम का विश्लेषण (SWOT Analysis)

शक्ति: -

1. सभी समूह सदस्य सामान व अनुकूल सोच रखते है।
2. समूह के एक सदस्य छोटे पैमाने पर सिलाई का कार्य करेंगे।

दुर्बलता: -

1. नया स्वयं सहायता समूह है।
2. समूह में कार्य करने का अनुभव नहीं है।

अवसर: -

1. समूह में कार्य करने पर बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जा सकता है।
2. स्थानीय बाजारों में सूट सिलाई इत्यादि की पर्यटन क्षेत्र होने के कारण मांग अधिक है।
3. परियोजना द्वारा सिलाई मशीन व अन्य सामान इत्यादि खरीदने के लिए अनुसूचित जाति / जनजाति तथा गरीब सामान्य श्रेणी की महिलाओं को 75% तथा सामान्य श्रेणी महिला को 50% अनदान दिया जाएगा।
4. परियोजना द्वारा सिलाई का प्रशिक्षण विशेषज्ञ द्वारा मौके पर / प्रशिक्षण संस्थानों में करवाया जाएगा।

जोखिम

1. समूह में आन्तरिक झगडे होने पर समूह का कार्य प्रभावित हो सकता है।
2. मांग व पारदर्शिता के अभाव में समूह टूटने की सम्भावना हो सकती है।

10. उद्यम हेतु अनुमानित लागत एवं उत्पाद के विक्रय मूल्य की गणना / आकलन:

अ. पूंजीगत व्यय (सामान्य श्रेणी)

क्रमांक	गतिविधि	मात्रा	मुल्य	कुल व्यय	परियोजना अंश (50%)	लाभार्थी अंश (50%)
1	सिलाई मशीन पेडल के साथ	5	7000	35000		
2	L स्केल	5	200	1000		
3	प्रेस	5	1200	6000		
4	स्टेपलर 1 बड़ा	1	150	150		
	1 छोटे	1	50	50		
	योग			42200	21100	21100

पूँजीगत व्यय (वी० पी० एल० / आई० आर० डी० पी० सामान्य श्रेणी)

क्रमांक	गतिविधि	मात्रा	मुल्य	कुल व्यय	परियोजना अंश (75%)	लाभार्थी अंश (25%)
1	सिलाई मशीन पेडल के साथ	4	7000	28000		
2	L स्केल	4	200	800		
3	प्रेस	4	1200	4800		
4	स्टेपलर 1 बड़ा 1 छोटे	1 1	150 50	150 50		
	योग			33800	25350	8450

सारांश पूँजीगत व्यय

क्रमांक	गतिविधि	मात्रा	मुल्य	कुल व्यय	परियोजना अंश	लाभार्थी अंश
1	सिलाई मशीन पेडल के साथ	9	7000	63000		
2	L स्केल	9	200	1800		
3	प्रेस	9	1200	10800		
4	स्टेपलर 1 बड़ा 1 छोटे	2 2	150 50	300 100		
	योग			76000	46450	29550

नोट: पूँजीगत व्यय का लाभार्थी अंश सदस्यों द्वारा नकदी के रूप में अदा किया जाएगा।

(ब) आवर्ती व्यय (एक चक्र के लिए) एक महीना लिया गया है

क्रमांक	विवरण	इकाई	मात्रा	दर	धन राशी
1.	किराया	महीना	1	1000	1000
2	मजदूरी	महीना	170 दिन	300	51000
3	परिवहन	महीना	1	2000	2000
4	पैकिंग (लिफाफे, बेग, अखबार)	नंबर	1	2000	2000
5	सिलाई धागा, वटन, जिप, हुक, इत्यादि	नंबर	570 सूट / ड्रेसज के लिए	10	5700
6	सूट लाइनिंग	नंबर	90	100	9000
7	अन्य खर्चे (स्टेशनरी, बिजली, पानी इत्यादि)	महीना	1	2000	2000
	योग				72700

- प्रत्येक दिन एक महिला 4/5 घंटे कार्य करेगी।

(स)- उत्पादन की लागत (एक चक्र के लिए)

क्र०स०	विवरण	धनराशि (रु०)
1	कुल आवर्ती व्यय	72700
2	पूंजीगत व्यय पर 10% वार्षिक मूल्य ह्रास	633
3	ऋण पर 7% वार्षिक दर पर ओसत व्याज	801
	योग	74134

(द) विक्रय मूल्य की गणना / आंकलन (प्रतिचक्र):

लाइनिंग और बिना लाइनिंग सूट, जैट्स नाईट सूट, बच्चों के परिधान

क्र०स०	विवरण	इकाई	मात्रा	दर	धनराशी
1.	उत्पादन की लागत				
	लेडीज सूट लाइनिंग	नंबर	90	292.27	26305
	लेडीज सूट बिना लाइनिंग	नंबर	180	107.27	19310
	जैट्स नाईट सूट	नंबर	180	78.94	14210
	बच्चों के परिधान	नंबर	120	107.29	12875
	कुल लागत		570 नग		72700
2	निर्धारित लाभ (प्रतिशत में)				
	लेडीज सूट लाइनिंग	54.11%	90	157.73	14195
	लेडीज सूट बिना लाइनिंग	86.92%	180	92.73	16690
	जैट्स नाईट सूट	153.16%	180	121.06	21790
	बच्चों के परिधान	40.18%	120	42.71	5125
	कुल लागत		570 नग		57800
3	उत्पादन की अनुमानित विक्रय (सिलाई रुपए में)				
	लेडीज सूट लाइनिंग		90	450	40500
	लेडीज सूट बिना लाइनिंग		180	200	36000
	जैट्स नाईट सूट		180	200	36000
	बच्चों के परिधान		120	150	18000
	योग		570 नग		130500

11. उधम हेतु लागत - लाभ विश्लेषण (एक चक्र के लिए) :

क्र०स०	मद	धनराशि (रु)
1	पूँजीगत व्यय पर 10 % वार्षिक मुल्य हास (अ)	633
2	आवर्ती व्यय (30 दिन)	
2.1	किराया	1000
2.2	मजदूरी	51000
2.3	सिलाई धागा, वटन, जिप, हुक, इत्यादि	5700
2.4	अन्य खर्चे (बिजली, स्टेशनरी इत्यादि)	2000
2.5	परिवहन	2000
2.6	सूट लाइनिंग	9000
2.7	पैकिंग (लिफाफे, बेग, अखबार)	2000
	योग	72700
3	कुल उत्पादन (नं० में)	570 नं०/ माह
4	उत्पादन की विक्री मूल्य प्रतिमाह	130500
5	उत्पादन की सिलाई से आय (570 नं०)	130500
6	कुल लाभ = 130500 - (633 + 72700)	57167
7	उत्पाद (सूट) की सिलाई से सकल लाभ = कुल लाभ + मजदूरी एवं किराया = 57167 + 51000 + 1000	109167
8	एक चक्र के उपरान्त लाभ के रूप में सदस्यों के मध्य वितरण हेतु उपलब्ध धनराशी = उत्पाद की विक्री से आय - (मूलधन व ब्याज वापसी + दुसरे चक्र हेतु आवश्यक आवर्ती व्यय - मजदूरी) = 130500 - (2000 + 72700 - 51000)	106800

- यह धनराशी मजदूरी व किराये की धनराशी के अतिरिक्त है। शुध लाभ प्रति सदस्य का वितरण सदस्यों के मध्य सहमत अनुपात के आधार पर किया जाएगा।
- बैंक ऋण की दर में से 5% ब्याज परियोजना द्वारा सीधे बैंक के खाते में जमा किया जाएगा। शेष व्याज समूह द्वारा अदा किया जाएगा।

12. धन की आवश्यकता

समूह की वित्तीय आवश्यकता :

क्र०स०	मद	धनराशी (रु)
1	पूँजीगत व्यय	76000
2	आवर्ती व्यय (कुल व्यय - मजदूरी)	21700
3	अन्य व्यय	-
	योग	97700

13. समूह के वित्तीय संसाधन :

क्र०स०	संसाधन का विवरण	धनराशी (₹)
1	परियोजना द्वारा सहायता कोष की धनराशी (50% & 75% पूंजीगत व्यय)	46450
2	लाभार्थी अंश (50% & 25% पूंजीगत व्यय)	29550
3	समूह की आंतरिक बचत	3750
	योग	79750

- परियोजना द्वारा 100000 रुपए की धनराशि रेवोल्विंग फण्ड के रूप में दी जायेगी।
- पूंजीगत व्यय का लाभार्थी अंश सस्द्यों नकदी के रूप अदा करेंगे।
- अतः आवर्ती व्यय के लिए 21700 या कहे 22000 का बैंक से ऋण लिया जाएगा।

14. सम विच्छेदन बिन्दू (ब्रेक इविन प्वाइन्ट) की गणना

ब्रेक इविन पॉइंट = पूंजीगत व्यय / विक्रय मूल्य - आवर्ती व्यय

$$= 76000 / 130500 - 72700$$

$$= 76000 / 57800$$

$$= 0.76 \text{ माह} = 0.76 \times 30 = 23 \text{ दिन}$$

उपरोक्त अनुपात में 570 नग सिलाई करके देने पर "ब्रेक इविन पॉइंट" 23 दिनों में प्राप्त होगा! दुसरे शब्दों में इस गतिविधि में लगी गयी धनराशी 23 दिनों में प्राप्त हो जाएगा।

15. ऋण वापसी का किश्तवार नियोजन :

क्र० स०	माह	ऋण वापसी						संचय ऋण वापसी	अवशेष ऋण		
		मुलधन	कुल ब्याज	परियोजना द्वारा 5 % ब्याज देय	समूह द्वारा शेष ब्याज 2% देय	समूह द्वारा प्रति माह देय किश्त	कुल		मुलधन	ब्याज	कुल
1	महीना -1								22000	128	22128
2	महीना -2	1872	128	92	36	2000	2000	2000	20128	117	20246
3	महीना -3	1883	117	84	33	2000	2000	4000	18246	106	18352
4	महीना -4	1894	106	76	30	2000	2000	6000	16352	95	16448
5	महीना -5	1905	95	68	27	2000	2000	8000	14448	84	14532
6	महीना -6	1916	84	60	24	2000	2000	10000	12532	73	12605
7	महीना -7	1927	73	52	21	2000	2000	12000	10605	62	10667
8	महीना -8	1938	62	44	18	2000	2000	14000	8667	51	8717
9	महीना -9	1949	51	36	15	2000	2000	16000	6717	39	6757

10	महीना -10	1961	39	28	11	2000	2000	18000	4757	28	4784
11	महीना -11	1972	28	20	8	2000	2000	20000	2784	16	2801
12	महीना -12	2784	16	12	4	2801	2801	2801	0	0	0
	योग	22000	801	572	227	22801	22801	112801	0	0	0

- 7% वार्षिक ब्याज की गणना प्रतिमाह घटते हुए मूलधन के आधार पर की गई है।
- समायोजन के कारण अंतिम ई.एम.आई. नियमित ई.एम.आई. से कम हो सकती है।
- इसके अतिरिक्त परियोजना द्वारा ब्याज को अग्रिम एक किश्त में अदा करने पर अंतिम किश्त घट जाएगी। अंतिम किश्त को ध्यान से बैंक खाते को चेक करके दी जानी आवश्यक है।

टिप्पणी/ गणना

समूह द्वारा प्रथम माह में लेडी सूट लाइनिंग, बिना लाइनिंग, जैट्स नाईट सूट और किड्स ड्रेसज की सिलाई करके तैयार किये जायेंगे तथा इनके सिलाई करने पर समूह को मजदूरी के रूप में 51000 रूपए तथा लाभांश से 55800 रूपए की कुल 106800 रूपए की अतिरिक्त आय होगी | प्रति सदस्य औसत 04 घंटे प्रतिदिन कार्य करने पर एक माह में प्रत्येक सदस्य को 10680 रूपए की अतिरिक्त आमदनी होगी | इसके अतिरिक्त परियोजना द्वारा वर्षभर 5% दर से ब्याज को वहन किया जाएगा | उसकी 572 रूपए की बचत होगी |

स्वयं सहायता समूह के नियमों की सूची

1. समूह का काम : **सिलाई व कटाई**
2. समूह का पता : गाँव बंसु, डाकघर दोहरानाला, तहसील और जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।
3. समूह के कुलसदस्य: **10**
4. समूह की पहली बैठक की तिथि ; **19 अक्टूबर, 2020.**
5. समूह में हर 100 रूपए पर 2 रूपए ब्याज होगा।
6. समूह की मासिक बैठक हर माह की 05. तारिक को होगी।
7. समूह के सभी सदस्य हर माह की बचत की गई राशि को समूह में जमा करेंगे।
8. स्वयं सहायता समूह की बैठक में सभी सदस्य को शामिल होना पड़ेगा।
9. स्वयं सहायता समूह का खाता हिमाचल ग्रामीण बैंक दोहरानाला शाखा में खोला जाएगा खाता संख्या नंबर **88331300005695** है।
10. समूह की बैठक में गेर हाज़िर रहने के लिए प्रधान व सचिव को उचित कार्य बता कर अनुमति लेनी होगी।
11. समूह में जो बचत की राशी जमा नहीं करवाते या 3 बैठकों तक समूह से गेर हाज़िर रहते हैं तो उस व्यक्ति को समूह से निकाल दिया जाएगा।
12. समूह में जो व्यक्ति कारण बताए वगेर गेर हाज़िर रहता है तो अगली बैठक उस व्यक्ति के घर में होगी। जिसका खर्च उस व्यक्ति को खुद करना होगा अगर दो सदस्य होंगे तो खर्च मिल कर देना होगा।
13. स्वयं सहायता समूह के प्रधान व सचिव सर्व सहमति से चुने जाएंगे।
14. प्रधान व सचिव बैंक से लेन देन कर सकते हैं यह पद एक वर्ष तक मान्य होगा।
15. प्रधान, सचिव या सदस्य समूह के विरुद्ध कोई काम नहीं करेगा समूह की रकम का सदा सदुपयोग करेगा।
16. अगर सदस्य किसी कारणवश समूह को छोड़ना चाहता है अगर इस व्यक्ति ने ऋण लिया है तो समूह को वापिस करना होगा तभी समूह को छोड़ समता है अन्यथा नहीं
17. ऋण का उद्देश्य रकम की चुकोती का समय ऋण की किश्त और ब्याज की दर बैठक में तय की जाएगी।
18. आपातकालीन स्थिति के लिए प्रधान व सचिव के पास कम से कम 1000 रूपये की राशी होनी चाहिए।
19. स्वयं सहायता समूह के रजिस्टर को सभी सदस्यों के सामने पढ़ा व लिखा जाना चाहिए।
20. बड़े ऋण लेने वालों को एक सप्ताह पहले की सूचना देनी होगी।
21. ऋण जरूरत के समय सभी सदस्यों को मिलना चाहिए।
22. अगर सदस्य बिना कारण से समूह को छोड़ना चाहता है तो उस सदस्य की जमा रही समूह में बांटी जाएगी।
23. समूह को अपनी मासिक रिपोर्ट प्रति माह तकनीकी क्षेत्रीय इकाई (Field Technical Unit) के कार्यालय में देनी होगी।

समूह का सहमती पत्र

आज दिनांक 22.07.21 को 'श्री पाल' समान गतिविधि सहायता समूह की बैठक हुई। बैठक प्रधान श्रीमती शांता देवी की अध्यक्षता में हुई जिसमें समूह के सदस्यों ने सर्व सहमती से निर्णय लिया की आय बढ़ाने के लिए लेडी सूट लाइनिंग, बिना लाइनिंग, जेंट्स सूट, किड्स ड्रेसज सिलाई का कार्य करने के लिए हिमाचल प्रदेश वन पारिस्थितिकी तन्त्र प्रबंधन और आजीविका सुधार परियोजना (जाईका) से जुड़ने की सहमती प्रदान करते हैं।

प्रधान
श्री पाल जाईका परियोजना वन्सू
डा० खड़ीहार जिला कुल्लू (हि०प्र०)

Kusumlatra
समूह के सचिव के हस्ताक्षर

समूह के प्रधान के हस्ताक्षर
शांता देवी

शांता देवी
प्रधान
श्री पाल जाईका परियोजना वन्सू
डा० खड़ीहार जिला कुल्लू (हि०प्र०)

Recommended for approval
Range Forest Officer
Forest Range Bhunter

Approved
Deputy Conservator of Forest,
Parvati Forest Division, Shamshi

समान रुचि समूह के प्रत्येक सदस्य के फोटोग्राफ

 <p>श्रीमती शांता देवी (प्रधान)</p>	 <p>श्रीमती कुसुमलता (सचिव)</p>	 <p>श्रीमती वीता देवी (कोषाध्यक्ष)</p>	 <p>श्रीमती रीना देवी (सदस्य)</p>
 <p>श्रीमती चमारी देवी (सदस्य)</p>	 <p>श्रीमती रीना देवी (सदस्य)</p>	 <p>श्रीमती कृष्णा (सदस्य)</p>	 <p>श्रीमती सीमा (सदस्य)</p>
 <p>श्रीमती संगीता देवी (सदस्य)</p>	 <p>श्रीमती अनितिका (सदस्य)</p>		